प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बिलासपुर

विविध याचिका क्षतिपूर्ति सं 1182/ 2019

1 – श्रीमती. सरिता पति स्वर्गीय सतीश कुमार वर्मा , 24 वर्ष ,निवासी आजाद नगर, बीरगाँव, पुलिस थाना उरला जिला रायपुर छत्तीसगढ़

2 – ललित कुमार पिता नीर सिंह वर्मा, 49 वर्ष , निवासी आज़ाद नगर, बीरगाँव, पुलिस थाना उरला, जिला रायपुर छत्तीसगढ़

3 – ईश्वरी बाई पति ललित कुमार वर्मा 48 वर्ष, निवासी आज़ाद नगर, बीरगाँव, पुलिस थाना उरला, जिला रायपुर छत्तीसगढ़

4 – कू। मंजू पिता ललित कुमार वर्मा,17 वर्ष , प्राकृतिक गौरडी पिता श्री ललित कुमार वर्मा पिता नीर सिंह वर्मा के द्वारा ,निवासी आजाद नगर, बीरगाँव, पुलिस थाना उरला, जिला रायपुर छत्तीसगढ़

.....अपीलकर्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

1 – अब्दुल रउफ पिता अब्दुल अज़ीज़ ,अब्दुल सलाम , पिता अब्दुल अज़ीज़ के द्वारा निवासी एच. नं. 265 तुलापुर, ताओ अब्दुलपुर, तहसील सोरा, जिला इलाहाबाद उत्तर प्रदेश।(ट्रक चालक नं. यू पी 70–ई. टी.–4650)।

2 – अब्दुल सलाम पिता अब्दुल अज़ीज़ एच. नं. 265 तुलापुर, ताओ अब्दुलपुर, तहसील सोरा, जिला इलाहाबाद उत्तर प्रदेश।(ट्रक के स्वामी यू पी 70–ई. टी.–4650)।

3–डिवीजनल मैनेजर, (डिवीजन नंबर 2,) द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एल. आई. सी. कार्यालय के पीछे पंडारी रायपुर, पुलिस थाना पंडारी रायपुर, तहसील तथा जिला रायपुर छत्तीसगढ़।(ट्रक का बीमाकर्ता नं. यू पी 70 ई. टी. 4650)।.....

–––उत्तरवादीगण

अपीलार्थिगण हेतु :श्री राकेश ठाकुर, अधिवक्ता की ओर से श्री सत्येन्द्र श्रीवास, अधिवक्ता

उत्तरवादी 1 और 2 हेतु: कोई नही

उत्तरवादी 3 हेतु: श्री कमरुल अज़ीज़, अधिवक्ता

(माननीय श्री संजय कुमार जैसवाल,न्यायाधीश)

पीठ पर आदेश

09/04/2025

1. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (संक्षेप में "एमवी अधिनियम") की धारा 173 के तहत यह अपील विद्वान द्वितीय अतिरिक्त दुर्घटना दावा अधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा दावा प्रकरण संख्या 786/2016 में पारित दिनांक 27.03.2019 के अधिनिर्णय को चुनौती देते हुए दायर की गई है। आक्षेपित अधिनिर्णय द्वारा, विद्वान न्यायाधिकरण ने उत्तरवादी सं 1 चालक की लापरवाही से तेज गति से वाहन चलाने के कारण मृतक सतीश कुमार वर्मा की मृत्यु के कारण दावेदारों को क्षतिपूर्ति के रूप में 13,55,200/– रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत दायर दावा आवेदन के तर्क के अनुसार, दावेदार मृतक सतीश कुमार वर्मा की पत्नी, बहन और माता–पिता हैं।दिनांक 09.08.2016 को जब मृतक अपनी मोटरसाइकिल से जा रहा था, तो रास्ते में लगभग 11.30 बजे, उत्तरवादी संख्या 1 जो ट्रक रजिस्ट्रेशन नं. UP 70 ET/4650 चला रहा था, ने तेजी व लापरवाही से मृतक की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। उक्त वाहन उत्तरवादी संख्या 2 के स्वामी का था तथा उत्तरवादी संख्या 3/बीमा कंपनी द्वारा बीमाकृत था। मृतक के विधिक उत्तराधिकारी होने के कारण दावेदारों ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत दावा आवेदन दायर किया तथा विभिन्न मदों में 59,19,800/– रुपए का कुल क्षतिपूर्ति की मांग कि गई।

3. विद्वान दावा न्यायाधिकरण ने अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य और आवेदन में किए गए अभिवचनों की जांच के आधार पर मृतक की वार्षिक आय 72000/– रुपए (6000 रुपए प्रति माह) , आय में 40% भावी प्रॉस्पेक्टस जोड़ने के बाद, व्यक्तिगत खर्चों के लिए एक–चौथाई की कटौती की और 17 का गुणक लागू किया और इस प्रकार आय की कुल हानि 12,85,200/– रुपए आंकी। इसके अलावा, पारंपरिक शीर्षों पर 70,000/– रुपए दिए गए। इस प्रकार अपीलकर्ताओं के पक्ष में दावा आवेदन दिनांक से इसकी वसूली तक 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ कुल 13,55,200/– रुपए का क्षतिपूर्ति दिया गया।

4. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया क्षतिपूर्ति कम है और इसमें वृद्धि की आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा कि दावेदारों ने मृतक की वार्षिक आय 2,50,000 रुपये होने का तर्क दिया है क्योंकि वह शिक्षक के रूप में कार्यरत था और कोचिंग कक्षाएं चलाता था, लेकिन विद्वान

दावा न्यायाधिकरण ने मृतक की आय 6000 रुपये प्रति माह अर्थात 72000 रुपये प्रति वर्ष माना है और अन्य पारंपरिक शीर्षों के तहत 70000 रुपये की राशि सहित कुल 13,55,200 रुपये का क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है।उन्होंने कहा कि क्षतिपूर्ति की गणना करते समय न्यायाधिकरण ने आयकर रिटर्न (एक्स.पी–30) पर विचार नहीं किया है, जिसमें मृतक की वार्षिक आय 2,62,000/– रुपये दर्शाई गई थी, हालांकि, उसने मृतक की आय 72000/– रुपये मान ली, इसलिए अपीलकर्ता उचित क्षतिपूर्ति से वंचित हैं। उन्होंने आगे कहा कि न्यायाधिकरण ने अन्य मदों में भी कम राशि प्रदान की है, इसलिए इस अपील को स्वीकार किया जा सकता है और क्षतिपूर्ति की राशि को उचित रूप से बढ़ाया जा सकता है।

5.. उत्तरवादी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता ने अधिनिर्णय का समर्थन किया और प्रस्तुत किया कि प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, न्यायाधिकरण ने उचित क्षतिपूर्ति प्रदान किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

6. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया, उनके प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार किया गया और अत्यंत सावधानी के साथ अभिलेख का अवलोकन किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. अब यह न्यायालय इस बात की जांच करेगा कि न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया 13,55,200/– रुपए का क्षतिपूर्ति प्रकरण के दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में न्यायसंगत और उचित क्षतिपूर्ति है या नहीं।

8. मृतक की आय के संबंध में, दावेदारों ने तर्क दिया है कि मृतक शिक्षक की नौकरी करके और कोचिंग कक्षाएं चलाकर प्रति वर्ष 2,50,000/– रुपए कमा रहा था।दावेदारों द्वारा एक्स.पी–14 से पी–29 के माध्यम से संचयी रूप से दाखिल किए गए शैक्षिक प्रमाण–पत्रों से स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि मृतक अच्छी तरह से शिक्षित था क्योंकि उसने एम.कॉम. और एम.बी.ए. में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम किया था। मृतक द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2016–2017 और 2015–2016 के लिए दाखिल किए गए आई.टी. रिटर्न को एक्स.30 और एक्स.पी–31 के माध्यम से अभिलेख में रखा गया है।आयकर निरीक्षक विजय कुमार (ए.डब्लू.3) जिन्होंने उन दस्तावेजों को साबित किया है, ने कहा है कि मृतक द्वारा दाखिल आईटी रिटर्न (एक्स.पी–30) में दिए गए विवरण के आधार पर, उसकी मजदूरी से आय 72,000 रुपये थी और अन्य स्रोतों से आय 1,90,000 रुपये थी और इस प्रकार उसकी कुल आय 2,62,000 रुपये थी।माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अं**जलि बनाम लोकेन्द्र राठौड़ एआईआर 2023 एससी 44** में यह अभिनिर्धारित किया है कि मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण में मृतक की वार्षिक आय की गणना के लिए उसके आयकर रिटर्न पर विचार किया जा सकता है। उक्त निर्णय का कंडिका–9 सुसंगत है और नीचे उद्धृत किया गया है:

"9. न्यायाधिकरण तथा उच्च न्यायालय दोनों ने मृतक की आय का अनुमान लगाने में मृतक के आयकर रिटर्न की अनदेखी करके गंभीर त्रुटि की। अपीलकर्ताओं ने मृतक का आयकर रिटर्न (2009–2010) दाखिल किया था, जिसमें मृतक की वार्षिक आय 1,18,261/– रुपये, लगभग 9,855/– रुपये प्रति माह दर्शाई गई थी। इस न्यायालय ने मलारविज़ी और अन्य (सुप्रा) में पुनः पुष्टि की है कि आयकर रिटर्न एक वैधानिक दस्तावेज है

जिस पर वार्षिक आय की गणना के लिए, जहाँ उपलब्ध हो, भरोसा रखा जाना चाहिए। मलारविज़ी (सुप्रा) में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार निर्धारित किया है:

10. ....हम उच्च न्यायालय से इस बात पर सहमत हैं कि निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर किया जाना चाहिए, जहाँ उपलब्ध हो। आयकर रिटर्न एक वैधानिक दस्तावेज है जिस पर मृतक की वार्षिक आय निर्धारित करने के लिए भरोसा किया जा सकता है।"इसलिए, इस न्यायालय की राय है कि मृतक की वार्षिक आय 1,18,261/0 रुपये, लगभग 9,855 रुपये प्रति माह मृतक के वर्ष 2009–2010 के आयकर रिटर्न को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाए।(जोर दिया गया)वर्तमान प्रकरण में, चूंकि मृतक द्वारा आय विवरण दर्शाते हुए आयकर रिटर्न (एक्स.पी–30) दाखिल करने को आयकर निरीक्षक (ए.डब्लू.3) द्वारा अस्वीकार नहीं किया गया है, इसलिए मैं मृतक द्वारा दाखिल आयकर रिटर्न (एक्स.पी–30) के आधार पर मृतक की वार्षिक आय 2,62,000/– रुपये मानना उचित समझता हूं।भविष्य की संभावनाओं के संबंध में, **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी (2017) 16 एससीसी 680 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के तहत, भविष्य की संभावनाओं के लिए 40% यानी 1,04,800/– जोड़ने के बाद कुल वार्षिक आय 3,66,800/– रुपये (2,62,000 रुपये + 1,04,800/–) होगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. कर निर्धारण वर्ष 2016–2017 के लिए आयकर स्लैब के अनुसार, 2,50,000/– रुपये तक की आय पर कर से छूट दी गई तथा 2,50,000 से 5,00,00/– रुपये तक की आय पर 10% कर लगाया गया। अतः, कर योग्य आय 1,16,800/– रुपये (3,66,800 में से 2,50,000 घटाएँ) हुई तथा 1,16,800/– पर देय कर 11,680/– रुपये हुआ।कर घटाने के बाद, शुद्ध वार्षिक आय 3,55,120/– रुपये (3,66,800 में से 11,680/– रुपये) होगी।

10. दुर्घटना के समय मृतक की आयु 30 वर्ष बताई गई थी और मृतक की पत्नी, माता–पिता और अविवाहित बहन कुल 4 आश्रित थे। इसलिए व्यक्तिगत व्यय के लिए कटौती एक–चौथाई होगी और वार्षिक आश्रितता 2,66,340/– रुपये (3,55,120 रुपये में से 88,780 रुपये घटाकर) होगी।**सरला वर्मा (श्रीमती) बनाम दिल्ली परिवहन निगम (2009) 6 एससीसी I21 और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी (2017) 16 एससीसी 680 में** माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के तहत मृतक की आयु पर विचार करते हुए, आश्रितता की कुल हानि का आकलन करने के लिए गुणक 17 लागू किया जाता है जो 45,27,780 रुपये (2,66,340 x 17) आता है।इसके अलावा, पारंपरिक मदों में, दावेदार संपत्ति के नुकसान के लिए 15,000 रुपये, अंतिम संस्कार के खर्च के लिए 15,000 रुपये पाने के हकदार हैं और **मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नानू, एआईआर ऑनलाइन 2018** एससी के अनुसार, प्रत्येक आश्रित/दावेदार प्यार और स्नेह के नुकसान के लिए 40,000 रुपये पाने का हकदार है।इस प्रकार दावेदार कुल 47,17,780 रुपये के क्षतिपूर्ति के हकदार होंगे। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय निम्नलिखित तरीके से क्षतिपूर्ति की गणना कर रहा है:

1.	निर्भरता का कुल नुकसान या आय का कुल नुकसान	रु.45,27,780/–
2.	संपत्ति का नुकसान	रु. 15, 000/–
3.	प्रेम तथा स्नेह की हानि या संघ की हानि (रु.40000 x4)	रु. 1,60,000 /–
4.	अंतिम संस्कार का खर्च	रु. 15, 000/–
	कुल	रु.47,17,780/–

11. इस प्रकार कुल क्षतिपूर्ति राशि 47,17,780/– रुपए होगी, जिसमें से न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए 13,55,200/– रुपए की कटौती के बाद, दावा न्यायाधिकरण द्वारा पहले से दिए गए क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त वृद्धि 33,62,580/– रुपए होगी। बढ़ी हुई राशि पर अधिनिर्णय की वृद्धि की तिथि से उसके प्राप्त होने तक 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. परिणामस्वरूप, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।आक्षेपित अधिनिर्णय को उपरोक्त सीमा तक संशोधित किया गया है तथा शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

13. रजिस्ट्री को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वह न्यायाधिकरण द्वारा दी गई राशि के विरुद्ध इस अपील में दावेदारों को लिखित रूप में "बढ़ी हुई राशि" के बारे में सूचित करे।उक्त पत्र व्यवहार हिंदी देवनागरी भाषा में किया जाना चाहिए तथा जहां दावेदार निवास करते हैं, संबंधित क्षेत्र के विधिक सहायता सचिव के समन्वय से अर्ध–विधिक कार्यकर्ताओं की सहायता ली जा सकती है।

सही/–
संजय कुमार जयसवाल
न्यायाधीश

(श्रीमती. सरिता तथा अन्य बनाम अब्दुल रउफ तथा अन्य)

हेड–नोट :–––

मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण में मृतक की वार्षिक आय की गणना के लिए उसके आयकर रिटर्न पर विचार किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur